फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम संगरिया

मधु देवी बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया

किस्म मुकदमा :– 55 आरटीए, 131,136 एलआरए नम्बर 102/2025

वकील प्रार्थी– स्वंय वकील अप्रार्थी

तारीख हुकम	हुकम या कर्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
31.10.2025	प्रार्थीया मधु देवी पत्नी श्री शिवरतन जाति मोदी निवासी राठी चौक संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ स्वंय ने एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार राजस्व संगरिया के समक्ष प्रस्तुत कर अपने स्वंय के नाम दर्ज आराजी चक 4 आरटीपी खाता संख्या 112/84 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 प.न. 185/187 मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 4/1 व 5/1 की उतरी दिशा में स्थित रकबे किला नं. 4/1 मे से 0.031 है. 5/1 मे से 0.004 है. भूमि को सावर्जनिक रास्ता के लिये समर्पण करने हेतु निवेदन किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक एमआईएस 0122/218 दिनांक 26.08.2025 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर स्थगन/विवाद आदि नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः उक्त प्रार्थना पत्र/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्त 8 (2) के तहत स्वीकार कर चक 4 आरटीपी खाता संख्या 112/84 प.न. 185/187 मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 4//0.031 एवं किला नम्बर 5/1/0.004 है. उतरी दिशा में सार्वजनिक रास्ता प्रार्थीया की मांग अनुसार स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार गै.मु. रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार संगरिया को दर्ज करने हेतु पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।	